



नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री

मध्यप्रदेश शासन

खादय, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

रु. 450 में घरेलू गैस सिलेंडर प्राप्त करने के लिये आवेदन पत्र



शिवराज सिंह चौहान
मुख्यमंत्री

पात्रता

1. प्रधानमंत्री उज्जवला योजनांतर्गत गैस कनेक्शनधारी उपभोक्ता अथवा
2. गैर प्रधानमंत्री उज्जवला श्रेणी में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के तहत पंजीकृत ऐसी लाडली बहने जिनके स्वयं के नाम से घरेलू गैस कनेक्शन हो।

क्र.	विषय	विवरण
1	आवेदिका की समग्र सदस्य आई.डी.नम्बर	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
4	गैस कनेक्शन का प्रकार	PMUY <input type="text"/> Non - PMUY <input type="text"/> (V लगाए)
5	HPCL/BPCL :LPG कनेक्शन आई0डी (17 अंको वाला) IOCL : रिलेशनशिप आई0डी (16 अंको वाला)	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

घोषणा

मैं एतद् द्वारा घोषणा करती हूँ कि मुझे पोर्टल पर आधार आधारित प्रमाणीकरण प्रणाली के साथ स्वयं को प्रमाणित करने और आधार आधारित प्रमाणीकरण के बाद अपना आधार नंबर, बायोमेट्रिक या वन-टाईम पिन (ओटीपी) डेटा प्रदान करने की सहमति देने में कोई आपत्ति नहीं है। मैं यह भी सहमति देती हूँ कि मेरी पहचान स्थापित करने और प्रमाणित करने के लिए मेरे आधार नंबर का उपयोग किया जा सकता है। मैं एतद् द्वारा केवल सरकारी सेवाओं और/सरकारी योजना के लाभों को प्राप्त करने के उद्देश्य से अन्य राज्य या केन्द्र सरकार के विभागों के साथ अपने आधार ई-केवायसी एवं योजना अन्तर्गत दर्ज विवरण को साझा करने की सहमति देती हूँ।

1	आवेदिका का नाम	
2	पता (ग्राम/शहर (वार्ड सहित))	

दिनांक :-

स्थान :-

(आवेदिका के हस्ताक्षर)

..... आवेदन की ऑनलाईन प्रविष्टि के पश्चात पावती फाइल कर दी जाए.....

(कार्यालयीन उपयोग हेतु)

आवेदन पत्र – पावती

योजनांतर्गत आपका आवेदन ऑनलाईन सफलतापूर्वक दर्ज कर लिया गया है।

1. आपका ऑनलाईन पंजीयन क्रमांक एवं आवेदन दिनांक/...../..... है।

2. आवेदिका का नाम

उक्त कार्यवाही पूर्ण किए जाने एवं पात्रता होने पर आपके स्वयं के आधार लिंक DBT Enable खाते में राशि प्राप्त होगी।

नोट :- यह मात्र आवेदन की पावती है। आवेदन परीक्षण उपरांत पात्र आवेदिका होने की दशा में ही योजना अंतर्गत लाभान्वित किया जा सकेगा।

निम्न कारणों से आवेदन ग्राह्य नहीं किया गया है-

योजना अंतर्गत गैस कनेक्शन जारी नहीं किया गया है।

योजनांतर्गत पात्रता नहीं रखता है।

(जारीकर्ता के हस्ताक्षर एवं सील)